संख्या:15/2024/448ई-2/तेरह-2024-1584288

प्रेषक,

दुर्गा सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारीअनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 04 जून, 2024

विषयः- मेसर्स मोदी डिस्टिलरी, मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद की क्षमता 32 कि.ली. प्रतिदिन से 85 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 112 लाख लीटर से बढ़ाकर 297.5 लाख लीटर किये जाने हेतु 53 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का अनाज पर आधारित प्लान्ट स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-105/दो-प्रा.डी.-45/मोदी, दिनांक 26-10-2023, पत्र संख्या:जी-150/दो-प्रा.डी.-45/मोदी आसवनी, दिनांक 13-03-2024 तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 22-03-2024 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:279ई-2/तेरह-2024-1584288, दिनांक 26-03-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26-10-2023 तथा 13-03-2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स मोदी डिस्टिलरी, मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद में स्थापित किये जा रहे ग्रेन आधारित प्लान्ट की क्षमता 32 कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर 85 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में350 कार्य दिवस के आधार पर 112 लाख लीटर से 297.5 लाख लीटर किये जाने हेतु 53 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का अनाज आधारित प्लान्ट स्थापित किये जाने, जिसके अन्तर्गत ग्रेन ई.एन.ए. का उत्पादन कर 90 प्रतिशत पेय मदिरा एवं शेष 10 प्रतिशत औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) आसवनी द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता पर नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) आसवक द्वारा ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-33/2021-810ई-2/तेरह-2021-107/2013, दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(3) ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(4) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) आसवनी द्वारा एथनॉल संचय टैंकों में राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर एवं रिसीवर तथा एथनॉल संचय टैंकों के पश्चात मास फ्लो मीटर लगाया जाना अनिवार्य होगा।

(6) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(7) संबंधित समूह द्वारा गन्ना किसानों के भुगतान की देयता ससमय सुनिश्चित की जायेगी व डिस्टिलरी के वित्तीय खातों का विवरण गन्ना आयुक्त तथा आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) इस संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिये कोई उल्लेख नहीं किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्याः15/2024/448ई-2/तेरह-2024,तद्दिनांकः-</u>

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश

(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(5) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(6) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।